MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 27th August, 2018

No.F.6-1/2013-DL.—Whereas by the Notification of the Government of India in the Ministry of Human Resource Development [Department of Higher Education (F.No.6-1/2013-DL)] dated 10th June, 2015 published in the Gazette of India, Part I, Section I, it had been decided that all the degrees/diplomas/certificates awarded through Open and Distance Learning (ODL) mode of education by the Universities established by an Act of Parliament or State Legislature, Institutions Deemed to be Universities under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 and Institutions of National Importance declared under an Act of Parliament stand automatically recognized for the purpose of employment to posts and services under the Central Government, provided they have been approved by the University Grants Commission (UGC).

And whereas, the UGC vide its Notification dated 23rd June, 2017 has notified the University Grants Commission (Open and Distance Learning) Regulation, 2017 followed by the subsequent amendments dated 11th October, 2017 and 6th February, 2018 respectively.

And whereas, Section 10(1) of AICTE Act, 1987 authorises All India Council for Technical Education (AICTE) to take all such steps as it may think fit for ensuring co-ordinated and integrated development of technical and management education and maintenance of standards in the matter.

Now, THEREFORE, the Central Government hereby notifies that all the degrees awarded through Open and Distance Learning mode of education by the Universities established by an Act of Parliament or State Legislature, Institutions Deemed to be Universities under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 and Institutions of National Importance declared under an Act of Parliament stand automatically recognized for the purpose of employment to posts and services under the Central Government, provided they have been approved by the University Grants Commission and wherever necessary by All India Council for Technical Education for the programmes for which it is the regulatory authority.

MADHU RANJAN KUMAR
Joint Secretary

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2018.09.11 12:18:57 +05'30'

[भाग I—खण्ड 1]

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2018

फा.सं. 6-1/2013/डीएल.—जबकि, मानव संसाधन विकास मंत्रालय [उच्चतर शिक्षा विभाग {फा.सं. 6-1/2013/डीएल}] में भारत सरकार द्वारा दिनांक 10 जून, 2015 को प्रकाशित भारत का राजपत्र भाग-I खण्ड- I में यह निर्णय लिया गया था कि संसद अथवा राज्य विधानमंडल के अधिनियम के द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत विश्वविद्यालयवत संस्थान और संसद के अधिनियम के तहत घोषित राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं द्वारा शिक्षा की मुक्त और दूरस्थ अधिगम (ओडीएल) पद्धति से प्रदान की गई/किए गए सभी डिग्रियां/डिप्लोमा/प्रमाण पत्र केन्द्रीय सरकार के तहत पद और सेवाओं के प्रयोजन के लिए स्वत: मान्यताप्राप्त हैं, बशर्ते उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

और जबकि, यूजीसी ने 23 जून, 2017 की अपनी अधिसूचना के जरिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ अधिगम) विनियम, 2017 अधिसूचित किया है और उसके बाद क्रमश: 11 अक्टूबर, 2017 और 06 फरवरी, 2018 के संशोधन अधिसूचित किए हैं।

और जबकि, एआईसीटीई अधिनियम, 1987 की धारा 10 (1) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई) को ऐसे सभी उपाय करने के लिए प्राधिकृत करती है, जो यह तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा के समन्वित और एकीकृत विकास और इस मामले में मानकों का अनुरक्षण सुनिश्चित करने के लिए उचित समझे।

अत:, अब केन्द्र सरकार एततद्वारा अधिसूचित करती है कि संसद अथवा राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत विश्वविद्यालयवत संस्थाओं और संसद के अधिनियम के तहत घोषित राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं द्वारा शिक्षा की मुक्त और दूरस्थ अधिगम (ओडीएल) पद्धति से प्रदान की गई/किए गए सभी डिग्रियां/डिप्लोमा/प्रमाण पत्र केन्द्रीय सरकार के तहत पद और सेवाओं के प्रयोजन के लिए स्वत: मान्यताप्राप्त हैं, बशर्ते उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा अनुमोदित किया गया हो और जहां आवश्यक हो, ऐसे कार्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा, जिनके लिए यह नियामक प्राधिकरण है, अनुमोदित किया गया हो।

मधु रंजन कुमार
संयुक्त सचिव